राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1994/2013/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सुनील एन्टरप्राईजेज, सांगानेर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर के आदेश दिनांक 29.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को इस आधार पर स्वीकार किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया था।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन पर पाया कि कर निर्धारण किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2011 को पारित किया गया था, तत्समय वेट अधिनियम की धारा 58 विलोपित भी की जा चुकी थी। इसके अलावा अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना शास्ति का आरोपण किया जाना, माननीय राजस्थान कर बोर्ड के **मैसर्स विश्वकर्मा हार्डवेयर स्टोर, भाटला, बाड़मेर की अपील संख्या 2227/2011/बाड़मेर में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2013** में प्रतिपादित विधि के आलोक में आरोपित शास्ति रूपये 16,248/– को अपास्त किया है, जो विधिसम्मत एवं न्यायसम्मत होने से अपीलीय आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

4. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 29.04.2013 की पुष्टि की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

5/6/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य